[2019] 8 एस.सी.आर. 799

असीम शरीफ

बनाम

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 949)

जुलाई 01, 2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 227 - के तहत मुक्ति - अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा अन्य आरोपियों के साथ-साथ धारा के तहत आरोपों से मुक्ति की मांग की गई। 120बी, 109, 150, 153ए, 302, 201 आर/डब्ल्यू एस। 34 आईपीसी; यू/एसएस. शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 27; और यू/एसएस. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16(1)(ए), 18 और 20 आवेदन ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया - उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी आदेश की पुष्टि - सुप्रीम कोर्ट में अपील - आयोजित: धारा के तहत डिस्चार्ज आवेदन की जांच करते समय। 227, अदालत से यह निर्धारित करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं - वर्तमान मामले के तथ्यों ने ट्रायल कोर्ट को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि प्रथम दृष्टया कथित अपराधों का मामला बनता है। , जिसकी सत्यता और सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जानी थी - निचली अदालतों के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1. सत्र मामलों में धारा 227 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते समय न्यायाधीश (जो कि वारंट मामलों से संबंधित धारा 239 सीआरपीसी के समान है) के पास पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए सबूतों को छांटने और

तौलने की निस्संदेह शक्ति है। आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं; जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे उचित रूप से समझाया नहीं गया है, न्यायालय आरोप तय करने में पूरी तरह से उचित होगा; कुल मिलाकर यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म दे रहा है, जैसा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह से अलग है, तो ट्रायल जज द्वारा उसे बरी करना उचित होगा। अत: धारा 227 सीआरपीसी के अंतर्गत दाखिल डिस्चार्ज आवेदन की जांच करते हुए यह अपेक्षित हैट्रायल न्यायाधीश को यह निर्धारित करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करना होगा कि ट्रायल के लिए मामला बनाया गया है या नहीं। यह सच है कि ऐसी कार्यवाहियों में, न्यायालय को रिकॉर्ड पर साक्ष्य एकत्र करके लघु सुनवाई नहीं करनी चाहिए। [पैरा 19] [807-ई-जी]

2. वर्तमान मामले के तथ्यों ने अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि आरोपी व्यक्तियों के बीच साजिश की प्रथम दृष्टया सामग्री है, जो प्रथम दृष्टया मामले की व्यक्तिपरक संतुष्टि के पर्याप्त आधार को जन्म देती है। अभियुक्त व्यक्तियों के बीच रची जा रही साजिश के कथित अपराधों और ऐसी साजिश की सच्चाई और सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जानी है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किये गये फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। [पैरा 23 और 24]

भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य। **(1979) 3 एससीसी 4 : [1979] 2 एससीआर 229** *; सज्जन कुमार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो* **(2010) 9 एससीसी 368: [2010] 11 एससीआर 669;** *राज्य बनाम एस. सेल्वी और अन्य।* **(2018) 13 एससीसी 455 ;** *विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।* **(2019) 6 स्केल 794 - पर भरोसा किया गया।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1979] 2 एससीआर 229	**पैरा 16**	**पर भरोसा किया गया**
[2010] 11 एससीआर 669	**पैरा 17**	**पर भरोसा किया गया**
(2018) 13 एससीसी 455	**पैरा 18**	**पर भरोसा किया गया**

(2019) 6 स्केल 794 पैरा 18 पर भरोसा किया गया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 949

2018 की रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 13891 में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.11.2018 से

कामिनी जयसवाल, अब्दुल रहमान, शेरिफ के.ए., सुश्री रानी मिश्रा, जतिंदरपाल सिंह, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

अमन लेखी, एएसजी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, कनु अग्रवाल, बी. वी. बलराम दास, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

रस्तोगी, जे. 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. वर्तमान अपील आरोपी अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आरसी 04/16-एनआईए-एचवाईडी आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 120-बी, 109, 150, 153ए, 302, 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ पंजीकृत किया गया; शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 27 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 15,16,17,18 और 20 (इसके बाद इसे "यूएपी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

3. जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलकर्ता का दावा है कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने, न तो जांच करने और न ही अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई सामग्री थी। इस स्तर पर, अपीलकर्ता ने उपरोक्त अपराधों के लिए मामले से मुक्ति की मांग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद इसे "सीआरपीसी" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 227 के तहत आवेदन दायर किया। आवेदन को ट्रायल जज/विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था, जिन्होंने 2 जनवरी, 2018 के आदेश के तहत उपरोक्त अपराधों के लिए उसके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, जिसे अपीलकर्ता ने संविधान के

अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर एक रिट याचिका में चुनौती दी थी। भारत ने सीआरपीसी की धारा 482 को पढ़ा, जिसे 22 नवंबर, 2018 के एक स्पष्ट आक्षेपित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया, जो तत्काल अपील में चुनौती का विषय है।

4. इस अपील को जन्म देने वाले पृष्ठभूमि तथ्य जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि वाणिज्यिक द्वारा आईपीसी की धारा 302 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 16 अक्टूबर, 2016 को अपराध संख्या 124/2016 के रूप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। स्ट्रीट पुलिस ने एक जयराम (सीडब्ल्यू-1) द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 16 अक्टूबर, 2016 को लगभग 12.40 बजे। जब वह अपने दोस्तों रुद्रेश, हरिकृष्ण और कुमार के साथ श्रीनिवास मेडिकल स्टोर्स, शिवाजीनगर के पास इकट्ठा हुआ, तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे एक व्यक्ति (आरोपी) ने रुद्रेश की गर्दन के दाहिने हिस्से पर तेज धार और घातक चाकू से हमला कर दिया और भाग गया। . रुद्रेश को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

5. प्रारंभ में, चार आरोपी व्यक्तियों (अभियुक्त संख्या 1 से 4) को 27 अक्टूबर, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। 5 (यहाँ अपीलकर्ता) को 2 नवंबर, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, जाँच का कार्य7 दिसंबर, 2016 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा गया था। एनआईए ने अपीलकर्ता सहित सभी पांच आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरसी संख्या 24/2016 में एफआईआर दर्ज की। जांच के बाद, 21 अप्रैल, 2017 को सभी पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि आरोपी नं. 1 से 4 ने आरोपी अपीलकर्ता (आरोपी नंबर 5) के साथ मिलकर आरएसएस के सदस्यों को मारने की साजिश रची और अपने कृत्यों को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302, 201 के तहत दंडनीय अपराध किया। कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों के पास बिना लाइसेंस के हथियार थे, जिससे यह शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 27 के तहत दंडनीय अपराध हो गया। इसके अलावा, आरोपी अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के कृत्य धारा 120 बी, 109, 150, 153 ए, 302, 201 के साथ धारा 34 आईपीसी और धारा 16 (1) (ए), 18 और 20 के तहत दंडनीय अपराध हैं। यूएपी अधिनियम.

6. अपीलकर्ता ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने की मांग की, जिसे 2 जनवरी, 2018 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया और आरोपी अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। विशेष एनआईए अदालत ने अपने आदेश दिनांक 2 जनवरी, 2018 के तहत सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने की मांग करने वाले अपीलकर्ता के आवेदन पर फैसला करते हुए पाया कि बचाव पक्ष के वकील ने स्वीकार किया था कि अपीलकर्ता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की बेंगलुरु इकाई का अध्यक्ष है और अन्य आरोपी व्यक्तियों की संख्या 1 से 4 तक PFI के सदस्य भी हैं. बचाव पक्ष के वकील ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी व्यक्तियों के बीच अक्सर टेलीफोन/मोबाइल फोन पर बातचीत होती थी। 1 से 5 पहले और 16 अक्टूबर, 2016 (घटना की तारीख) के बाद, जिसने विशेष एनआईए अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि रिकॉर्ड पर आरोप पत्र में रखी गई सामग्री व्यक्तिपरक संतुष्टि के पर्याप्त आधार को जन्म देती है। प्रथमदृष्टया मामला आरोपी व्यक्तियों के बीच साजिश रचने के कथित अपराध का है। आगे यह देखा गया कि आरोपी अपीलकर्ता सीआरपीसी की धारा 227 के आवश्यक तत्वों को सही ठहराने में विफल रहा है और अंततः यह माना गया कि मामला आरोप तय करने के साथ आगे बढ़ने लायक है। 22 नवंबर, 2018 के अपने फैसले में असफल अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने पर उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की गई।

7. अपीलकर्ता की विद्वान वकील सुश्री कामिनी जायसवाल का कहना है कि आक्षेपित निर्णय के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर हानि हुई है और यह तथ्यात्मक परिस्थितियों की गलत व्याख्या पर आधारित है।मामले की सुनवाई और उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है, जिससे पूरी कार्यवाही दूषित हो गई है और घोर अन्याय हुआ है।

8. विद्वान वकील ने आगे कहा कि आरोप पत्र के उद्धरण को पढ़ने से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहा है। सीडब्ल्यू 1 से 53, 55 से 76, 78 से 86, 86-92, 94 से 96 और 98 से 112 में अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है और उसके खिलाफ मामला बनाने के लिए अभियोजन पक्ष ने जिन अन्य गवाहों पर भरोसा किया, वे गवाह हैं। महज़ार कार्यवाही में, जिसने बैंक खाते के विवरण और

कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी कुछ जानकारी प्रदान की, जो किसी भी तरह से अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी आपत्तिजनक सामग्री का खुलासा नहीं करती है।

9. विद्वान वकील के अनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप बिना किसी आधार के और केवल संदेह पर है क्योंकि यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता आतंकवादी हमले के रूप में कथित हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता था। यह आरोप कि उसने अन्य पीएफआई सदस्यों के साथ मिलकर आरएसएस के सदस्यों को मारने की साजिश रची और साजिश की बैठकें आयोजित कीं और आरएसएस से जुड़े लोगों के एक वर्ग के बीच आतंक पैदा करने की योजना को अंजाम दिया, मनगढ़ंत और बिना किसी तथ्य के है क्योंकि अपीलकर्ता के पास से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। या अभियोजन की कहानी का समर्थन करने के लिए और दी गई परिस्थितियों में, ट्रायल जज द्वारा धारा 227 सीआरपीसी के तहत आरोपमुक्त करने के उसके आवेदन को खारिज करना और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि करना कानून में टिकाऊ नहीं है।

10. विद्वान वकील ने आगे कहा कि यद्यपि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार कथित घटना की योजना बनाई गई थी और उसे नवरात्रि के अंतिम दिन विजयदशमी पर निष्पादित किया गया था, जबकि यह रिकॉर्ड का विषय है कि उक्त तिथि और विजयादशमी को पहले ही नवरात्रि समाप्त हो चुकी थी। 11 अक्टूबर, 2016 को था और कथित घटना 16 अक्टूबर, 2016 को थी। ऐसा बयान केवल अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए अदालत के दिमाग को पूर्वाग्रहित करने के लिए दिया गया था जो कि अनुचित और अनुचित है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसकी सराहना नहीं की गई। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में।

11. विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस मामले में कोई भी आरोपी किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य नहीं है जो यूएपी अधिनियम की अनुसूची के तहत प्रतिबंधित है और इसलिए, जांच पूरी होने के बाद यूएपी अधिनियम लागू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कम से कम यूएपी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उनके खिलाफ तय किया गया आरोप कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं था।

12. इसके विपरीत, एएसजी ने प्रतिवादी की ओर से अपनी सामान्य दृढ़ता के साथ उपस्थित होकर कहा कि यूएपी अधिनियम की धारा 15 एक व्यक्ति और एक आतंकवादी गिरोह/संघ दोनों के कृत्य को कवर करती है और यूएपी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, किसी संघ/संगठन को उसके द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्य को दंडित करने के लिए अनुसूची में शामिल किया जाना आवश्यक नहीं है।

13. विद्वान वकील ने आगे कहा कि घटना उस दिन हुई जब आरएसएस कार्यकर्ताओं ने एक पथ संचलन का आयोजन किया था, और मृतक, जो वर्दी पहने हुए था, पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा बेरहमी से हमला किया गया, जिससे उसका गला एक ही झटके में कट गया। जिसके परिणामस्वरूप उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। माना जाता है कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। की गई वसूलियों सहित अधिनियम की प्रकृति से पता चलता है कि परिणाम भौतिक कार्य से परे थे और बड़े पैमाने पर लोगों के मन में भय पैदा करना और असुरक्षा पैदा करना और वैमनस्य को बढ़ावा देना था।

14. विद्वान वकील आगे कहते हैं कि साक्ष्यों की श्रृंखला से अपराध के कमीशन में अपीलकर्ता की संलिप्तता का पता चलता है:

i) अपीलकर्ता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का जिला अध्यक्ष है जो पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक में कई आरएसएस सदस्यों/हिंदू नेताओं की हत्याओं में शामिल रहा है।

ii) 12 दिसंबर, 2016 के बैनर की जब्ती, जिस पर आरोपी अपीलकर्ता सहित सभी आरोपियों के नाम और तस्वीरें थीं।

iii) आरोपी नंबर के बीच कई टेलीफोन एक्सचेंज। 1 से 4 और अभियुक्त अपीलकर्ता।

iv) 4 नवंबर, 2016 की प्रकटीकरण रिपोर्ट से पता चलता है कि एक चमड़े के पर्स में आरोपी नंबर द्वारा लिखा गया एक पत्र था। 4 अपीलकर्ता के कार्यालय में खोजा गया था, जिसमें आरोपी नं. 4 निकट अतीत में पीएफआई द्वारा की गई 17 हत्याओं की सूची इस नोट के साथ बताएं कि मृतक रुद्रेश की हत्या ने अन्य हत्याओं की तुलना में इतना अधिक ध्यान क्यों आकर्षित किया।

v) जांच से पता चला कि घटना से लगभग 8-9 महीने पहले, सभी आरोपियों ने आरोपी अपीलकर्ता और अन्य सदस्यों द्वारा आयोजित उपदेश कक्षाओं में भाग लिया था, जहां आरएसएस सदस्यों को मारने के लिए अपीलकर्ता द्वारा आरोपी व्यक्तियों को भर्ती किया गया था और उनका ब्रेनवॉश किया गया था।

vi) आरोपी नं. 4 ने कबूल किया कि आरोपी अपीलकर्ता आरएसएस सदस्यों की हत्या का मास्टरमाइंड था।

15. विद्वान वकील ने आगे कहा कि एक मजबूत संदेह है जो अदालत को यह सोचने पर मजबूर करता है कि अपीलकर्ता ने एक अपराध किया है जो रिकॉर्ड पर रखे गए आरोप-पत्र से स्पष्ट रूप से सामने आता है और ट्रायल कोर्ट ने सही माना है कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। अपीलकर्ता के खिलाफ मामला और उच्च न्यायालय द्वारा 2 जनवरी, 2018 के अपने आदेश के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा नोट किए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर दोबारा गौर करने के बाद मामले पर विस्तृत रूप से विचार किए जाने के बाद, कम से कम इस मामले में की गई अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता का.

16. इससे पहले कि हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय की शक्तियों के दायरे और दायरे पर ध्यान देना उचित होगा। ***यह न्यायालय भारत संघ बनाम. प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य।*** मेरे पास धारा 227 सीआरपीसी के दायरे पर विचार करने का अवसर था और इसे पैराग्राफ 7 में निम्नानुसार रखा गया था:

> “7. संहिता की धारा 227 इस प्रकार चलती है:
>
> “यदि, मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह आरोपमुक्त कर देगा आरोपी और ऐसा करने के लिए उसके कारणों को रिकॉर्ड करें।"

"आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं" शब्द स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के आदेश पर आरोप तय करने वाला महज एक डाकघर नहीं है, बल्कि उसे मामले के तथ्यों के प्रति अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करना होगा। निर्धारित करें कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के लिए मामला बनाया गया है या नहीं। इस तथ्य का आकलन करने में, अदालत के लिए मामले के पक्ष और विपक्ष में प्रवेश करना या सबूतों और संभावनाओं को तौलना और संतुलित करना आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में मुकदमा शुरू होने के बाद उसका कार्य है। धारा 227 के चरण में, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों की जांच करनी होती है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। आधार की पर्याप्तता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रकृति को अपने दायरे में ले लेगी अदालत के समक्ष जो पूर्व दृष्टया खुलासा करती है कि आरोपी के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियां हैं ताकि उसके खिलाफ आरोप तय किया जा सके।

17. **<u>सज्जन कुमार बनाम में. केंद्रीय जांच ब्यूरो,</u>** इस न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 227 और 228 के दायरे पर विचार करने का अवसर था। इससे जो सिद्धांत सामने आए, उन्हें पैरा 21 में निम्नानुसार नोट किया गया है:

“21. संहिता की धारा 227 और 228 के दायरे के बारे में अधिकारियों के विचार करने पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

(i) सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते समय न्यायाधीश के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए सबूतों को छांटने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं। प्रथम दृष्टया मामले का निर्धारण करने का परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(ii) जहां अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, अदालत आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से उचित होगी।

(iii) अदालत केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, सबूतों के कुल प्रभाव और अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों, किसी भी बुनियादी कमजोरियों आदि पर विचार करना होगा। इस स्तर पर, मामले के पक्ष और विपक्ष में घूम-घूम कर जांच नहीं की जा सकती और सबूतों को ऐसे तौला नहीं जा सकता जैसे कि वह कोई सुनवाई कर रहा हो।

(iv) यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, अदालत यह राय बना सकती है कि आरोपी ने अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकती है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए निष्कर्ष को उचित संदेह से परे साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने अपराध किया है। अपराध किया.

(v) आरोप तय करते समय, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के संभावित मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आरोप तय करने से पहले अदालत को सामग्री पर अपना न्यायिक दिमाग लगाना चाहिए।

रिकॉर्ड पर रखा गया है और संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध करना संभव था।

(vi) धारा 227 और 228 के स्तर पर, अदालत को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके अंकित मूल्य पर सामने आए तथ्य कथित सभी सामग्रियों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं या नहीं। अपराध। इस सीमित उद्देश्य के लिए, सबूतों को छांटें क्योंकि प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई सभी बातों को सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के विपरीत हो।

(vii) यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है, तो ट्रायल जज को आरोपी को आरोपमुक्त करने का

अधिकार होगा और इस स्तर पर, उसे यह नहीं देखना होगा कि ट्रायल समाप्त होगा या नहीं दोषसिद्धि या दोषमुक्ति।"

18. इस विषय पर कानून की व्याख्या पर इस न्यायालय ***द्वारा राज्य बनाम मामले*** में आगे विचार किया गया है। ***एस. सेल्वी और अन्य.3*** ने विक्रम जौहर बनाम में अनुसरण किया। ***उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य.4***

19. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विषय पर कानून की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया गया है कि न्यायाधीश सत्र मामलों में धारा 227 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार कर रहे हैं (जो कि वारंट मामलों से संबंधित धारा 239 सीआरपीसी के समान है)) के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए सबूतों को छानने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं; जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे उचित रूप से समझाया नहीं गया है, न्यायालय आरोप तय करने में पूरी तरह से उचित होगा; कुल मिलाकर यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म दे रहा है, जैसा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह से अलग है, तो ट्रायल जज द्वारा उसे बरी करना उचित होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 227 के तहत दायर डिस्चार्ज आवेदन की जांच करते समय, ट्रायल जज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करके यह निर्धारित करे कि ट्रायल के लिए मामला बनाया गया है या नहीं। यह सच है कि ऐसी कार्यवाहियों में, न्यायालय को रिकॉर्ड पर साक्ष्य एकत्र करके लघु सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

20. यदि हम तत्काल मामले के तथ्यों पर ध्यान दें, तो शुरुआत में 16 अक्टूबर, 2016 को वाणिज्यिक स्ट्रीट पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध संख्या 124/2016 में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। एक रुद्रेश की हत्या. शुरुआत में, अपराध के सिलसिले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आर.सी. में प्रथम सूचना दर्ज की। क्रमांक 24/2016 में अपीलकर्ता-आसिम शरीफ़ (अभियुक्त संख्या 5) को अभियुक्तों की सूची में शामिल किया गया है। धारा 8 के साथ पठित धारा 6(5) के अनुसार भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आंतरिक सुरक्षा-1

प्रभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली द्वारा 7 दिसंबर, 2016 के अपने आदेश के माध्यम से जांच का कार्य एनआईए को सौंपा गया था। राष्ट्रीय जांच अधिनियम के. उक्त आदेश के अनुपालन में, एनआईए, हैदराबाद शाखा ने धारा 120बी, 109, 150, 153ए, 302, 201 के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरसी 04/16-एनआईए-एचवाईडी में मामला दर्ज किया; शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 27 और यूएपी अधिनियम की धारा 15, 16, 17, 18 और 20।

21. जांच पूरी होने के बाद, 21 अप्रैल, 2017 को आरोपी व्यक्तियों 1 से 5 के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस स्तर पर, आरोपी अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आरोप से मुक्ति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया। 12 जनवरी, 2018 के अपने आदेश के तहत उसके और अन्य आरोपी व्यक्तियों (आरोपी संख्या 1 से 4) के खिलाफ ठोस कारण दर्ज करने और आरोप तय करने के आदेश के बाद, उपरोक्त अपराधों को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। आदेश का सार इस प्रकार है:

> " 22. यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय ने पहले ही कथित अपराधों का संज्ञान ले लिया है और यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मंजूरी प्राप्त करना कथित अपराधों का संज्ञान लेने की तारीख के अनुसार एक शर्त है। कथित अपराधों के संज्ञान के समय एनआईए द्वारा मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है और इस न्यायालय द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, इस अदालत का दृढ़ विचार है कि मंजूरी के संबंध में कोई भी आदेश पारित करना अच्छा नहीं है। सबसे सरल कारण यह है कि मंजूरी की वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में किसी भी आदेश को पारित करना अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को हड़पने का कार्य होगा। कि संज्ञान लेने का क्रम आज भी बरकरार है. इसलिए, इन पैराग्राफों और इस आदेश के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिए गए कारणों के लिए, एनआईए ने यह स्थापित किया है कि प्रस्तुत की गई सामग्रीयह मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है और यह कथित अपराधों के प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व की व्यक्तिपरक संतुष्टि देता है। इसलिए, बिंदु संख्या 2 का विषय नकारात्मक में उत्तर देने योग्य है, बिंदु संख्या 3 का सकारात्मक उत्तर देने योग्य है

और बिंदु संख्या 4 का नकारात्मक में उत्तर देने योग्य है और उक्त बिंदुओं का तदनुसार उत्तर दिया जाता है। यह अदालत निम्नलिखित पारित करने के लिए आगे बढ़ती है:

<u>आदेश</u>

सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आवेदन दायर किया गया। आरोपी नंबर 5 द्वारा एतद्द्वारा बर्खास्त किया जाता है। यह मामला सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र में उल्लिखित कथित अपराधों के संबंध में आरोप तय करने के साथ आगे बढ़ने का हकदार है।

"22. असफल अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के साथ धारा 482 सीआरपीसी के तहत रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का विश्लेषण करने के बाद ट्रायल जज द्वारा व्यक्त किए गए विचार की पुष्टि की और निम्नानुसार कहा:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान याचिका भारत के संविधान के तहत रिट क्षेत्राधिकार और इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान कर रही है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में, याचिकाकर्ता के रुख को इस न्यायालय के आदेशों द्वारा विशेष रूप से नकारात्मक कर दिया गया था। . कार्यवाही में मामले का आग्रह, मूल्यांकन और निर्णय किया गया है और फिर से याचिकाकर्ता अगले दौर के लिए आया है। तथ्यों या कानून के आधार पर विशेष में कार्यवाही की त्रुटि का सुझाव देने लायक कोई सामग्री नहीं है। सी.सी. क्रमांक 181/2017 XLIX Addl की फाइल पर लंबित है। धारा 302, 201 आर/डब्ल्यू धारा के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बेंगलुरु में सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश (एनआईए मामलों की विशेष अदालत)। आईपीसी की धारा 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 27 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 15, 16, 17, 18 और 20 के तहत।"

23. इसके अलावा, हमने प्रासंगिक रिकॉर्ड और अवलोकन के लिए रिकॉर्ड पर रखे गए आरोप-पत्र के उद्धरण को भी देखा है, तथ्य से पता चलता है कि आरोपी

अपीलकर्ता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की बेंगलुरु इकाई का अध्यक्ष है और अन्य आरोपी सं. 1 से 4 तक PFI के सदस्य भी हैं. आरोप-पत्र से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता (अभियुक्त संख्या 5) के बीच अन्य आरोपी व्यक्तियों (अभियुक्त संख्या 1 से 4) के बीच पहले और बाद में अक्सर टेलीफोन/मोबाइल पर बातचीत होती थी।16 अक्टूबर, 2016 (घटना की कथित तारीख) तक, जिसने अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि आरोपी व्यक्तियों के बीच साजिश की प्रथम दृष्टया सामग्री है, जो कथित अपराधों के प्रथम दृष्टया मामले की व्यक्तिपरक संतुष्टि के पर्याप्त आधार को जन्म देती है। मुकदमे के दौरान आरोपी व्यक्तियों के बीच रची जा रही साजिश और ऐसी साजिश की सच्चाई और सत्यता की जांच की जानी है।

24. वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, रिकॉर्ड और हमारे सामने आए फैसले को देखने के बाद, हमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली और 22 नवंबर, 2018 के आक्षेपित फैसले द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई, जो कहता है हमारे हस्तक्षेप के लिए.

25. हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा जो देखा गया है वह केवल वर्तमान अपील के निपटान के उद्देश्य से है और की गई कोई भी टिप्पणी किसी भी तरह से मुकदमे के दौरान पार्टियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और ट्रायल कोर्ट भी ऐसा कर सकता है। हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित/बाधित न हों और कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से मुकदमे को आगे बढ़ाएं

26. इन टिप्पणियों के साथ अपील खारिज की जाती है।

27. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

कल्पना के.त्रिपाठी अपील खारिज

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।